भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1472
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डिमेंशिया के मामले

1472. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में डिमेंशिया के राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लांसेट पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में वर्ष 2050 तक भारत में डिमेंशिया के मामलों में 197 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया गया है;

(ग) क्या सरकार डिमेंशिया से जुड़े जोखिम कारकों की व्यापकता का मूल्यांकन करने और उक्त जोखिम कारकों को दूर करने के लिए नीतियों को लागू करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) क्या सरकार सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर अंकुश लगाना चाहती है क्योंकि धूम्रपान डिमेंशिया से जुड़े जोखिम कारकों में से एक है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में डिमेंशिया के 38, 43,118 मामले होने का अनुमान लगाया गया था और वर्ष 2050 तक इसकी संख्या बढ़कर 1,14,22,692 होने की उम्मीद है। डिमेंशिया के मामलों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ): मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बेहतर प्रबंधन द्वारा डिमेंशिया के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। भारत सरकार मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र पहचान और प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) कार्यान्वित कर रही है। आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के तहत सामान्य एनसीडी के लिए स्क्रीनिंग भी सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है। सरकार राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई) भी कार्यान्वित कर रही है। एनपीएचसीई की प्रमुख गतिविधियों में क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) में ओपीडी देखभाल सेवाओं और 30 बिस्तरों वाले जरा चिकित्सा वार्ड के साथ जरा चिकित्सा विभाग की स्थापना, 10 बिस्तरों वाले जरा चिकित्सा वार्ड सहित विशेष जरा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में जरा चिकित्सा इकाइयों की स्थापना, सप्ताह में दो

बार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जरा चिकित्सा क्लीनिकों में पुनर्वास इकाई की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक जरा चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना तथा उप-केन्द्र स्तर पर जरूरतमंद वृद्धजनों के लिए स्वस्थ जीवन शैली पर सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां, शय्याग्रस्त लोगों की घर पर देखभाल और सहायक उपकरण शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, मानसिक विकारों के बोझ से निपटने के लिए सरकार मानसिक विकारों/बीमारी का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार के लिए देश के 716 जिलों में एनएमएचपी के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन में सहायता कर रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्र और 47 स्नातकोत्तर विभाग संस्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और केन्द्रीय और राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के मनश्चिकित्सीय स्कंधों में अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने और उपचार की सुविधाएं भी हैं, जो डिमेंशिया का सबसे आम कारण है।

(ड.): धूम्रपान हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाकर डिमेंशिया के जोखिम को बढ़ा सकता है,जो हृदय और मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव होता है जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है।

देश में तम्बाकू के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं-

i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए 2003) नामक एक व्यापक कानून अधिनियमित किया है ताकि तंबाकू के उपयोग के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों से जनता की रक्षा की जा सके। सीओटीपीए, 2003 के प्रावधान और बनाए गए विनियमों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है; नाबालिगों को और उनके द्वारा और शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है; तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध और निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का प्रदर्शन अनिवार्य है।

ii. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) इस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य (i) तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना, (iii) सीओटीपीए, 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना (iv) लोगों को तंबाकू का उपयोग छोड़ने में मदद करना, और (v) तंबाकू के डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा तंबाकू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समर्थित रणनीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना है। प्रवर्तन प्रयासों की निगरानी राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (एसटीसीसी) और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (डीटीसीसी) द्वारा भी की जाती है।

iii. तंबाकू उत्पाद पैक के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के 85% को कवर करते हुए सभी तंबाकू उत्पाद पैकों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां प्रदर्शित की जाती हैं।

iv. सीओटीपीए, 2003 की धारा-6 को कार्यान्वित करने के लिए तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थाओं (टीओएफईआई) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश प्रसारित/कार्यान्वित किए गए हैं।

*****